प्रमाणित किया जाता है
राज्य मत्स्य सहकारी संघ लि० उत्तराखण्ड
निबन्धन सं० 01 ... हरिद्वार
दिनांक 01/08/2012
उप निबन्धक,
सहकारी समितियां उत्तराखण्ड

–:आदर्श उपविधिया:–

राज्य मत्स्य सहकारी संघ लि० उत्तराखण्ड

1–नाम तथा पता–

इस फेडरेशन का नाम– राज्य मत्स्य सहकारी संघ लि० उत्तराखण्ड और इसका मुख्यालय (पूरा पता)– सांई प्लाजा, निकट रेलवे स्टेशन रुड़की जिला हरिद्वार मे होगा। निकट गन्ना सोसायटी, गणेशपुर, पिन 247667

2–कार्यक्षेत्र

इस संघ का कार्यक्षेत्र–सम्पूर्ण उत्तराखण्ड की सीमा तक सीमित रहेगे।

3–परिभाषाए

जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इन उपविधियो मे–

1. फेडरेशन का तात्पर्य सहकारी मत्स्य विकास एवं विपणन फेडरेशन लि०, उत्तराख्यण्ड से है।
2. अधिनियम का तात्पर्य उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 से है।
3. नियमावली का तात्पर्य सहकारी समिति अधिनियम के आधीन बनाये गये नियमो से है।
4. नियम का तात्पर्य सहकारी समिति अधिनियम के आधीन बनाये गये नियमो से है।
5. उपविधियो का तात्पर्य इस सहकारी संघ की उपविधियों से जो सहकारी समिति अधिनियम 2003 के आधीन बनायी गई है।
6. निबन्धक का तात्पर्य अधिनियम को धारा 3 के अधीन ~~सध्य सहकारी मत्स्य संघ लि० उत्तराखण्ड~~ के निबन्धक के रुप मे तत्समय नियुक्त व्यक्ति तथा इसकी उक्त धारा के आधीन नियुक्त ऐसा व्यक्ति भी जो निबन्धक द्वारा प्रदत्त सभी या किन्ही अधिकारो का प्रयोग करने से है। निबन्धक सहकारी समितियॉ, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा से है।
7. कमेटी का तात्पर्य समिति की प्रबन्ध कमेटी से है।
8. राज्य सरकार का तात्पर्य उत्तराखण्ड सरकार से है।
9. सदस्य का तात्पर्य जब तक कि विषय अथवा प्रसग से कोई भिन्न अर्थ न निकले, साधारण सदस्य से है।
10. परिवार से तात्पर्य पति पत्नि एवं आश्रित/नाबालिग संतान से होगा।
11. संचालक मंडल से तात्पर्य फेडरेशन के संचालक मंडल से है जिसे अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत फेडरेशन के प्रबंधन का कार्य सौपा गया है।
12. मुख्य प्रर्वतक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो राज्य सहकारी मत्स्य संघ लि० हरिद्वार के गठन मे मुख्य भूमिका का निर्वाह करे।
13. सचिव से तात्पर्य संघ के सचिव से है, जिसकी नियुक्ति अधिनियम, नियमो, उपविधियो के अर्न्तगत हुई हो।
14. सहकारी बैंक से तात्पर्य राज्य सहकारी बैंक लि० से है जिसकी संघ सदस्य हो।

सचिव अध्यक्ष/मुख्यप्रर्वतक
राज्य मत्स्य सहकारी संघ लि०
उत्तराखण्ड

15. स्वाधिकृत पूंजी (निजि पूंजी) का तात्पर्य फेडरेशन की संचित हानियो को यदि कोई हो, निकाल देने के पश्चात निम्नलिखित मदो के योग से है–
    1. दत्त अंशपूंजी
    2. संचित रक्षित राशी
    3. अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1) के खंड (ख) मे उल्लिखित सहकारी शिक्षा निधि को छोड़कर समिति के लाभ से सृजित अन्य निधियो और
    4. सरकार द्वारा दिये गये अनुदानो से स्थानित निधियो तथा रिजर्व्स।
16. अधिकतम दायित्व का तात्पर्य उस अधिकतम राशी से है जो फेडरेशन उधार ले सकता है। इसके अर्न्तगत अंशपूजी सम्मिलित नही होगी।
17. अधिनियम मे परिभाषित शब्द और पद जिनका उपयोग इन उपविधियो मे किया गया है का जब तक प्रसंग द्वारा अन्य अपेक्षित न हो वही अर्थ होगा जो अधिनियम और नियमो मे निर्दिष्ट है।

4–उद्देश्य:–

संघ के निम्नलिखित मुख्य तथा गौण उद्देश्य होंगे:–

(अ.) मुख्य उद्देश्य

(क.) फेडरेशन का उद्देशय प्रदेश के समस्त जिलो की संबंधित सहकारी समितियो को संगठित करना तथा उनका पर्यवेक्षण करना और वह सब कार्य करना जिससे उनके व्यवसाय व कार्य प्रणाली को उन्नति मिले तथा उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ हो।

(ख.) सदस्यो को मत्स्य उत्पादन बढाने के लिये उन्नतशील मत्स्य बीज, मत्स्य उपकरण, खाद मत्स्य खुराक, मशीनरा तथा तकनीकि सहायता हेतु व्यवस्था करना।

(ग.) सदस्य समितियो तथा उनके सदस्यो के की प्रकिया करना, श्रेणीगत बनाना, पैकिंग करना, उनकी बिकि तथा स्टोरेज हेतु समुचित व्यवस्था करना।

(घ.) सदस्यो की मछली को समुचित रुप से बेचने का प्रबंध करना।

(ड) नदियो या जलाशय मे मछली पकड़ने का ठेका लेना व जलाशयों का विकास करना।

(च.) विशेष स्थिति मे सदस्यो के मत्स्य उत्पादन को स्वयं खरीदना और उसको बेचने का प्रबंध करना।

(ज.) सदस्य समितियों तथा सदस्यो के लिये उपभोक्ता वस्तुए कय करना, स्टाक एक्सचेंज करना, निर्माण हेतु प्रोजेक्ट लगाना तथा निर्मित माल के बिकि की व्यवस्था करना।

(झ.) जिले मे शाखाएं तथा डिपो खोलना तथा उनको संचालित करना।

(ट.) सदस्य समितियो के पदाधिकारियो, सदस्यो तथा अवेतनिक कार्यकर्ताओ के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(ठ) राज्य में नए जलाशय विकासित करने के लिए भूमि क्रय कर जलाशय निर्माण करके सदस्यों को लाभ पहुँचाना।
क्रय कर समतलीकरण कर जलाशय का निर्माण करना

प्रबन्ध निदेशक
मत्स्य सहकारी संघ लि०
उत्तराखण्ड

Scanned with OKEN Scanner

(ब.) गौण उद्देश्यः–

(क.) फेडरेशन हेतु निवासी अमानतो तथा अन्य लेखे द्वारा धन प्राप्त करना और समय–समय पर उस सीमा तथा शर्तो पर, जिसे प्रबन्ध कमेटी उचित समझे ऋण प्राप्त करना।

(ख.) प्रदेश स्तर पर उत्तराखण्ड मत्स्य जीवी सहकारी फेडरेशन के गठन होने पर/केन्द्रीय कार्यालाय (दिल्ली) से व्यवसाय वृद्धि हेतु आवश्यकतानुसार इकरारनामा करना।

(ग.) अपने तथा सदस्य संस्थाओ की आवश्यकतानुसार कर्मचारियो या सदस्यो को देश–विदेश मे तकनिकि ज्ञान कराने हेतु प्रशिक्षण व अध्ययन भ्रमण की व्यवस्था करना।

(घ.) समय–समय पर मत्स्य सहकारी समितियो के सम्मेलनो का आयोजन करना तथा ऐसे सम्मेलनो मे पारित संकल्पो पर आवश्यक कार्यवाही करना।

(ड.) घरेलू उद्योग धन्धो की उन्नति मे सहायता करना तथा सदस्यो द्वारा तैयार किये गये माल के विकि की व्यवस्था करना।

(च.) ऐसे सभी कार्य करना जिससे समिति के उपरोक्त उद्देश्यो की पूर्ति मे सहायता मिले।

5–सदस्यताः– जब तक कि अधिनियमो के प्रावधानो के आधीन अनर्ह न हो।

(क.) प्रारम्भिक सदस्यः– प्रारम्भिक सदस्य वे होगे, जो समिति के निबंधन मे प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। प्रत्यंक को एक हजार रुपया प्रवेश शुल्क देना होगा। जिसे किसी भी दशा मे सदस्य वापस पाने का अधिकार नही होगा। निबन्धन मे मत देने के अधिकार होगा।

(ख.) साधारण सदस्यः– प्राइमरी मछुआ समुदाय की मत्स्य जीवी सहकारी समितिया यवं जिला स्तरीय मत्स्य संघ जो फेडरेशन के कार्यक्षेत्र मे होगी।

(ग.) नाम मात्रिक सदस्यः– यह सदस्यता उस हर एक मत्स्य पालक के लिये खुली होगी जिसका चरित्र अच्छा हो, मस्तिष्क स्वस्थ हो तथा आयु 18 वर्ष से अधिक हो तथा वह समिति के साथ वयापारिक संबंध करना चाहता हो। ऐसे व्यक्ति 1000.00 रुपये प्रवेश शुल्क देकर, जो लौटाया नही जायेगा फेडरेशन का सदस्य बन सकता है। नाममात्र सदस्य को समिति के हिस्से खरिदने का अधिकार नही होगा। ये न तो फेडरेशन की प्रबन्ध कमेटी के सदस्य हो सकेंगे और न ही समिति के लाभ मे हिस्सा पाने के हकदार होंगे।

उन्हे समिति के मामालो मे वोट देने का अधिकार भी नही होगा। नाममात्र सदस्य को सदस्यता का प्रमाण पत्र नही दिया जायेगा।

(घ.) विशेष सदस्यः– राज्य सरकार, केन्द्र सरकार

(क.)नियम 36 के अनुसार सदस्यता के लिये प्रत्येक प्रार्थना पत्र सचिव को फेडरेशन द्वारा निर्धारित रुप पत्र पर दिया जायेगा। सचिव ऐसे प्रार्थना पत्र पर निर्णय हेतु अधिकार संचालक गण्डल द्वारा किसी अधिकृत संचालक को दिया जा सकता है।

(ख.) साधारण सदस्यता के आवेदन पत्र प्राप्त होने के 35 दिन तथा नाममात्र सदस्यो की दशा मे 15 दिन के अन्दर फेडरेशन की प्रबन्ध कमेटी अथवा अधिकृत अधिकार (नाममात्र सदस्यता की दशा मे) निर्णय लेगे जिसकी सूचना प्रार्थी को निर्णय लेने के 07 दिन के भीतर देनी होगी।

यदि साधारण सदस्यता के आवेदन पत्र प्राप्त होने के 60 दिन मे नाममात्र सदस्यता के आवेदन पत्र प्राप्त होने के 30 दिन मे कोई निर्णय नही लिया गया और सूचित किया गया तो यह समझा जायेगा कि सम्बन्धित सदस्यता का आवेदन पत्र अस्विकार हो गया है।

सदस्यता के अस्विकार किये जाने की दशा मे अधिनियम की धारा–98 की उपधारा–1(ग) के अन्तर्गत अपील की जा सकती है।

2(क.) प्रारम्भिक सदस्यो व नाममात्रो सदस्यो को छोड़कर बाद मे सदस्यता प्राप्त करने वाला प्रत्येक सदस्य 1000.00 रुपये भर्ती शुल्क के रुप मे अदा करेगा जो कभी भी वापस नही होगा।

(ख.) फेडरेशन मे सम्मिलित हाने से पूर्व हर सदस्य इस आशय के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेगा यदि वह फेडरेशन की वर्तमान उपविधियो और उसकी सदस्यता की अवधि मे इन उपविधियो मे किये जाने वाले तमाम संशोधनो तथा परिवर्तनो से बाध्य रहेगा।

(ग.) फेडरेशन की रजिस्ट्री के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रारम्भिक सदस्य को भी घोषणा पत्र पर फेडरेशन की रजिस्ट्री होने के एक मास के अन्दर हस्ताक्षर करना होगा।

(घ.) हर एक सदस्य को इस आशय के एक प्रतिज्ञा पत्र पर भी हस्ताक्षर करना होगा कि वह फेडरेशन की सामान्य निकाय की बैठक मे उपस्थित सदस्यों के 2/3 मत से जो भी नियम पास किया जायेगा और जिसकी स्वीकृति निबंधक महोदय से मिल गयी हो वह उससे बाध्य रहेगा। ऐसे नियमो की अवहेलना करने पर वह फेडरेशन की सदस्यता से पृथक किया जा सकता है।

3. किसी भी सदस्य को तब तक सदस्यता के अधिकार प्राप्त नही होंगे जब तक उसने उपविधि की धारा–7 (ख) के अनुसार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया हो और प्रवेश शुल्क तथा अपने द्वारा खरीदे गये हिस्से की कम से कम एक हिस्से की धनराशी मे अदा कर दिया हो।

4.फेडरेशन का कोई सदस्य अगर वह कर्जदार नही है और न ही किसी की जमीन है। एक मास का नोटिस देने पर फेडरेशन से त्याग पत्र दे सकता है। नोटिस की अवधि संघ को नोटिस प्राप्त होने की तिथि से प्रारंभ होगी। इस तरह सदस्यता से अलग होने

सचिव अध्यक्ष/मुख्यप्रर्वतक
राज्य मत्स्य सहकारी संघ लि॰
उत्तराखण्ड

Scanned with OKEN Scanner

पर सदस्य उन जिम्मेदारियो से मुक्त नही समझा जायेगा जो कि उसने इन उपविधियो के अनुसार ली है।

5.कोई सदस्य फेडरेशन की सदस्यता से हटाया या निकाला जा सकता है यदि

(क) उसने सदस्यता के लिए, अधिनियम, नियमो और उपविधियो मे अपेक्षित अर्हताये मे न रही हो।

(ख) वह अधिनियम, नियमो और उपविधियाक का उल्लंघन करके फेडरेशन का सदस्य बनाया गया हो।

(ग) उसने फेडरेशन की किसी सम्पत्ति अथवा धन का दुर्विनियोग किया हो या फेडरेशन की किसी सम्पत्ति को हानि पहुचायी हो।

(घ) उसने उपविधियो का उल्लंघन करके फेडरेशन के हित को हानि पहुचायी हो।

(ड) उपविधियो के किन्ही उपबंधो के अनुसरण में किसी सदस्य द्वारा की गयी घोषणा गलत पायी जाए या किसी सारबान सूचना को दबाने के कारण दोषी पाया गया हो और ऐसी गलत या दोषपूर्ण घोषणा के कारण सदस्य को फेडरेशन से अनुचित नाम हुआ हो अथवा उसमे फेडरेशन की आर्थिक या वित्तीय हानि अथवा कठिनाइयां हुई हो।

किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे उपरोक्त उपविधि के आधीन हटाना या निकालना हो, संचालक मंडल नोटिस प्राप्त होने के दिनांक ये दस दिन के भीतर यह कारण बताने को कहेगा कि क्यो न उसे फेडरेशन की सदस्यता से यथा स्थिति हटा या निकाल दिया जाये। यदि नोटिस का जवाब निर्दिष्ट समय के भीतर न प्राप्त हो जाये अथवा प्राप्त उत्तर संचालक मंडल के राय मे संतोषजनक न हो तो उक्त सदस्य संचालक मंडल द्वारे उपरोक्त उपविधि मे वर्णित नोटिस की अवधि की समाप्ति के दिनांक से 15 दिन के भीतर खुली बैठक में उपस्थित 2/3 सदस्यो के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा यथा स्थिति हटा दिया जायेगा या निकाल दिया जायेगा। उपरोक्त ऐसे प्रयोजन के लिये बुलाई गयी संचालक मेडल की बैठक की कार्य सूची की एक प्रति उस सदस्य को भी भेज दी जायेगी जिसे हटाना या निकालना हो और उक्त सदस्य को संचालक मंडल के सम्मुख अपने मामलो को स्पष्ट करने का अधिकार होगा।

(च) उपरोक्त आधर पर निकाले हुए सदस्य को अधिनियम की धारा–27 की उपधारा–2 के आधीन हटाया या निकाला गया फेडरेशन का कोई भी सदस्य उक्त दिनांक से जब निकाले जाने का संकल्प अथवा आदेश प्रभावी हो दो वर्ष की अवधि तक फेडरेशन का फिर से सदस्य बनने का पात्र नही होगा और वह फिर से सदस्य बनने के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि के लिये फेडरेशन के आधीन कोई पद धारण करने अथवा संचालक मंडल मे निर्वाचन के लिए खड़े होने का भी पात्र न होगा।

6.दायित्व

सचिव

अध्यक्ष/मुख्यप्रबंधक

राज्य मत्स्य सहकारी संघ लि.

उत्तराखण्ड

फेडरेशन के ऋणो के लिए सदस्यो का दायित्व उनके द्वारा लिए गये अंशो के नामी कीमत तक ही सीमित होगा।

7.पूँजी

फेडरेशन की कार्यरत (चालू पूँजी) निम्नलिखित से बनेगी।

(क) अंशपूंजी।

(ख) ऋण और अमानते।

(ग) रक्षित निधि, अन्य निधि तथा लाभ।

(घ) अनुदान और दान।

(ड) प्रवेश शुल्क।

(च) अवितरित लाभ।

(छ) राजकीय सहायता/अन्य प्राप्त सहायताए।

8.अंश

(अ) अंश का मुल्य, उनका दिया जाना (एलाटमेन्ट) और भुगतान-- फेडरेशन के अंश अनिश्चित संख्या वाले होंगे।

1– प्रत्येक अंश का मुल्य 1000/– रुपये होगा यह अंश समिति सदस्य, अनय साधारण सदस्य और राज्य सरकार द्वारा किये जायेंगे तथा वापस किये जा सकेंगे जैसा कि राज्य सरकार से इन अंशो के संबंध मे अनुबंध हुआ हो।

2-- संचालक मंडल समय-समय पर जैसा उचित समझे फेडरेशन की अंशो की ऐसी पूंजी जारी करेगा कि सदस्य कय कर सके।

3– नाम ~~मात्र सदस्य~~ के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक अंश कय करना होगा।

4--अशो के कय करने के आवेदन पत्र के साथ अंशो का कुल मुल्य चुकता करना होगा।

5–प्रार्थी या उसके प्रति हस्ताक्षरित सदस्यता के आवेदन पत्र के आधारपर अंश दिये जाते ही आवेदक फेडरेशन का सदस्य मान लिया जायेगा।

6–प्रत्येक सदस्य को जिसे कोई अश दिया जायेगा बिना किसी व्यय के अंश का प्रमाण पत्र पाने का अधिकारी होगा। अंश के प्रमाण पत्र पर फेडरेशन के सचिव तथा सभापति के हस्ताक्षर होंगे।

सचिव अध्यक्ष/मुख्यप्रर्वतक
राज्य मत्स्य सहकारी संघ लि०
उत्तराखण्ड

7–यदि संचालक मंडल को यह संतोष हो जाए कि अंश प्रमाण पत्र फट गया है, नष्ट हो गया है, खो गया है तो वह एक सौ रुपया लेकर यदि वह चाहे तो क्षतिपूर्ति पत्र लिखकर प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति द्वारा उसको नवीनीकरण करा सकता है।

8– किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य से मिलने वाले ऋण के संबंध मे उक्त सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के अंश या पूंजी पर उसकी अमानतो तथा उसकी मिलने वाले लाभांश या लाभ पर फेडरेशन को प्रथम प्रभार होगा। ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य को 15 दिन का नोटिस देकर उसके खाते मे जमा अथवा उसको मिलने वाली देय धनराशी फेडरेशन किसी भी ऋण के रुप मे भुगतान कर सकता है। ऐसे अंश सदस्यता के लिए योग्य किसी अन्य वर्तमान सदस्य के नाम से जारी करने के लिए फेडरेशन स्वतंत्र है।

(ब) अंशो का हस्तांतरण

1– फेडरेशन निर्धारित रुप पत्र अंशो के हस्तान्तरण का बही खाता रखेगा और उसमे प्रत्येक अंश के हस्तांतरण संबंधी वितरण अंकित करेगा।

2– किसी सदस्य के अंश या हित का हस्तांतरण वैध न होगा जब तक कि–

(क)सदस्य ने वह अंश या हित कम से कम एक वर्ष तक फेडरेशन मे धारित न किया हो।

(ख)हस्तांतरण फेडरेशन या फेडरेशन के किसी सदस्य के पक्ष मे न हो।

(ग)हस्तांतरण संचालक मंडल द्वारा स्वीकृत न हो।

4– फेडरेशन की सामान्य निकाय मे किसी समिति द्वारा नियुक्त किया गया कोई प्रतिनिधि बना रहेगा जब तक कि वह समिति जिसका प्रतिनिधित्व करता हो, उसके स्थान पर दूसरा प्रतिनिधि नियुक्त न कर दे और उसकी सूचना फेडरेशन को न दे दे।

9. सामान्य बैठक

सामान्य निकाय की बैठक निम्न दो प्रकार की होती होगी:–

(क)वार्षिक सामान्य बैठक (ख) अन्य सामान्य बैठक

(अ) फेडरेशन प्रत्येक सहकारी वर्ष में वार्षिक विवरणिया प्रस्तुत किये जाने और अधिनियम की धारा–64 के आधीन लेखा का परिक्षण हो जाने के पश्चात यथाशीघ्र 31 नवम्बर तक (लेखा परिक्षण न किया गया हो तो भी) अपनी वार्षिक सामान्य बैठक करेगी। प्रतिबंध यह है कि निबंधक 31 नवम्बर के पश्चात भी फेडरेशन को अपनी वार्षिक सामान्य बैठक करने की अनुमति दे सकता है और उस दशा मे वार्षिक सामान्य बैठक इस प्रकार बढाई गयी अवधि के भीतर होगी।

वर्षिक सामान्य बैठक के निम्न कार्य होंगे:–

1–संचालक मंडल द्वारा आगामी सहकारी वर्ष के लिए तैयार किये गये कार्यकलाप के कार्यक्रम का अनुमोदन।

सचिव अध्यक्ष/मुख्यप्रर्वतक
राज्य मत्स्य सहकारी संघ लि०
उत्तराखण्ड

Scanned with OKEN Scanner

अग्रेत्तर प्रतिबंध यह होगा कि समिति प्रतिनिधियो मे से कम से कम प्रत्येक तहसील के सदस्य समितियो का एक प्रतिनिधि अवश्य होगा और किसी तहसील के चार से अधिक प्रतिनिधि नही होगें।

संचालक चुने जाने अथवा बने रहने की अनर्हता

1– कोई व्यक्ति फेडरेशन के संचालक मंडल का सदस्य होने या अन्य बना रहने का पात्र न होगा यदि:

(क) उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो।

(ख) वह दिवालिया घेषित हो।

(ग) उस निबन्धक की राय मे नैतिक पतन संबंधी अपराध के लिये दोषी ठहराया गया।

(घ) वह निबंधक की राय मे या उसके परिवार का कोई सदस्य निबंधक के आज्ञा के बिना फेडरेशन के कार्यक्षेत्र के भीतर उसी प्रकार का कारोबार करना शुरू करे या करता हो जैसा फेडरेशन करता हो।

(ड़) वह फेडरेशन के भीतर अथवा उससे सम्बद्ध किसी समिति के अर्न्तत कोई लाभ के पद स्वीकार करे या धारण करता हो।

(च) वह राज्य मत्स्य संघ के सामान्य निकाय का सदस्य न हो।

(छ) वह अपने व अपने समिति द्वारा लिये गये किसी ऋण या ऋणी के संबंध मे फेडरेशन या किसी अन्य समिति का या वह समिति जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो फेडरेशन के किसी ऋणी के संबंध मे कम से कम छः मास से बाकीदार हो।

(ज) वह तीन अन्य समितियो की प्रबंध कमेटी का पहले से ही सदस्य हो, प्रतिबंध यह है कि कोई व्यक्ति जो पहले से ही किसी राज्य स्तरीय संघ की प्रबंध समिति का सदस्य हो तो वह फेडरेशन के संचालक मंडल के सदस्य होने के लिये पात्र न होगा।

(झ) वह राजकीय सेवा या किसी समिति या निगम से कपट, दुराचरण आदि के आरोप मे पदच्युत किया गया हो और पदच्युत का ऐसा आदेश अपील मे रद्द न किया गया हो।

(ट) वह अधिनियम, नियम या उपविधियो के किसी उपबंध के आधीन अन्यथा अनर्ह हो।

2– संचालक मंडल का कोई सदस्य यदि वह संचालक मंडल की तीन लगातार बैठको मे अनुपस्थित रहता है तो वह अस्थायी रुप से संचालक मंडल का सदस्य नही रहेगा।

प्रतिबंध यह है कि संबंधित व्यक्ति इस उपविधि के अन्तर्गत अर्जित अनर्हता की नोटिस पाने के 15 दिन के अन्दर निबंधक या संबंधित अधिकारी को प्रतिवेदन कर सकता है और जहा निबंधक अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाये कि सम्बंधित व्यक्ति की अनुपस्थिति के लिये पर्याप्त कारण थे, तो वह आदेश द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकते है, ऐसी धोषणा के पश्चात अस्थायी रुप से अर्जित

सचिव

अध्यक्ष/मुख्य प्रबंधक

राज्य मत्स्य सहकारी संघ लि०

उत्तराखण्ड

2–गत सहकारी वर्ष के रोकड़ पत्र (बैलेंसशीट) और प्रतिवेदन पर विचार।

3–नियम 32 के अनुसार गत सहकारी वर्ष के लेखा परिक्षण प्रमाण पत्र और लेखा परिक्षा प्रतिवेदन पर विचार।

4–आगामी सहकारी वर्ष के लिए फेडरेशन का अधिकतम दायित्व निश्चित करना।

5–शुद्ध लाभ का निस्तारण।

6–आगामी सहकारी वर्ष के बजट पर विचार।

7–नियमो और उपविधियो के उपबन्धो के अनुसार संचालक मंडल के सदस्यो का निर्वाचन यदि कोई होना हो।

(ब)अधिनियम की धारा–31 में किसी बात के होते हुए सचिव का और सचिव की अनुपस्थिति मे संचालक मंडल के सभापति का सह कर्तव्य होगा कि वह उपरोक्त उपधारा– (ब) के उपबंधो के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक बुलाये और ऐसा न करने पर निबंधक या उसके द्वारा यथाविधि प्राधिकृत व्यक्ति वार्षिक सामान्य बैठक बुला सकता है।

(ख) अन्स सामान्य बैठकें

1–संचालक मंडल फेडरेशन के कार्य सम्पादन के लिए जब जब आवश्यक हो फेडरेशन के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक बुला सकता है।

2–संचालक मंडल निबंधक अथवा फेडरेशन के सामान्य निकाय के कम से कम 1/5 सदस्यो की लिखित अधियाचन प्राप्त हो जाने के पश्चात एक मास के भीतर फेडरेशन के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक बुलायेगा। संचालक मंडल के उपर्युक्त बैठक न बुलाने पर निबंधक अथवो उसके द्वारा बधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान पर समय पर जिसका वह निर्देश दें, साधारण बैठक बुलाने का अधिकार होगा।

3–सदस्यों द्वारा सामान्य निकाय की बैठक के मांग पत्र पर प्रस्तावित बैठक का उद्देश्य लिखा होना चाहिए और उसे फेडरेशन से पंजीकृत कार्यालय में देना चाहिए।

4–सामान्य निकाय की बैठक के लिए कम से कम 15 दिन की सूचना आवश्यक होगी। बैठक की नोटिस, दिन, स्थान और समय तथा उसमे की जाने वाली कार्यवाही का विवरण देते हुए ही सदस्य के पंजीकृत पत पर डाक द्वारा भेजी जायेगी।

5–सदस्यो की मांग पर सामान्य निकाय के बैठक की सूचना मे निर्दिष्ट विषय के अतिरिक्त अन्य विषय पर विचार न होगा।

बैठक के लिए गणपूर्ति

(क)सामान्य निकाय के सदस्यो के 1/5 अथवा 30 में से जो भी कम हो सामान्य निकाय की बैठक की गणपूर्ति (कोरम) होगी।

सचिव अध्यक्ष/मुख्यप्रर्वतक
राज्य मत्स्य सहकारी संघ लि०
उत्तराखण्ड

Scanned with OKEN Scanner

(ख)यदि बैठक के लिए निश्चित समय से आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति न हो तो बैठक उस तिथि या समय के लिए स्थगित समझी जायेगी जैसा उपस्थित सदस्य निश्चित करें ऐसी स्थगित बैठकों के लिए गणपूर्ति सामान्य निकाय के सदस्यो के 1/10 या 15 मे जो भी कम हो, से होगी।

प्रतिबंध यह है कि यदि बैठक सदस्यो या प्रतिनिधियो के अभियाचन पर बुलायी गयी हो तो वह निश्चित समय के एक घंटे के भीतर गणपूर्ति के अभाव मे विघटित हो जायेगी।

बैठक का सभापतित्व

प्रतयेक बैठक का सभापतित्व फेडरेशन का सभापति करेगा उनकी उनुपस्थिति मे उप सभापति सभापतित्व करेंगे। दोनो की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने मे से किसी एक को बैठक के लिए सभापति चुनेंगे। प्रतिबंध यह है कि सभापति या उपसभापति में से कोई व्यक्ति ऐसी बैठक का सभापतित्व उस दशा में नही करेगा जब ऐसी विषयों पर चर्चा होनी हो जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो।

बैठको में विषयो का निस्तारण

(क)किसी बैठक के समक्ष सभी विषय उपस्थित सदस्यो के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के रुप में निश्चित किये जायेंगे जब तक कि अधिनियम, नियमो और उपविधियो के आधीन कोई विशिष्ट बहुमत अपेक्षित न हो। किसी संकल्प के पक्ष या विपक्ष में मतो के बराबर होने की दशा में बैठक में सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(ख) जब किसी बैठक मे उपस्थित सदस्यो मे किसी सदस्य पर मतभेद हो तो कोई सदस्य मतदान की मांग कर सकता है। जब मतदान की मांग की जाये तो सभापति संकल्प पर मतदान करा सकता है।

(ग) प्रत्येक सदस्य। प्रत्येक प्रतिनिधि तथा प्रत्येक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति फेडरेशन के प्रशासन मे स्वयं मतदान करेगा। प्रतिबंध यह होगा कि किसी भी सदस्य को दूसरे के माध्यन से मतदान करने की आज्ञा नही दी जायेगी।

संचालक मंडल

फेडरेशन का प्रबंध एक संचालक मंडल मे निहित होगा। जो समिती के समुचित कार्य संचालन के लिये उत्तरदायी होगा। संचालक मंडल मे साधारणतया निम्नलिखित सदस्य होंगे जो किसी भी दशा मे नौ (09) से अधिक नही होंगे।

जिनमे उपविधि के अनुसार निम्नलिखित आरक्षण होगा—

(क) दो महिला सदस्य

(ख) एक अनुजाति / अनु० जनजाति सदस्य

सचिव अध्यक्ष/मुख्य प्रबंधक
राज्य मत्स्य सहकारी संघ लि०
उत्तराखण्ड

अनर्हता समाप्त हो जायेगी और समझा जायेगा कि वह व्यक्ति संचालक मंडल का सदस्य बना रहा।

उपरोक्त (2) के संचालक मंडल के नाम निर्दिष्ट संचालको पर लागु नही होंगे।

संचालक मंडल का कार्यकाल

1– सिवाय अधिनियम, नियम एवं उपविधियो मे की गई अन्यथा व्यवसाय के फेडरेशन के संचालक मंडल का कार्यकाल पॉच सहकारी वर्ष होगा। जिसके अर्न्तगत उनके निवार्चन का सहकारी वर्ष भी शामिल होगा।

2– कोई भी व्यक्ति संचालक मंडल मे निर्वाचित किये जाने के लिये पात्र न होगा यदि उसने पूर्ण या आंशिक रुप से दो लगातार तक फेडरेशन मे पद धारण किया हो।

प्रतिबंध यह है कि अधिनियम, नियम एवं उपविधियो के आधीन गठित संचालक मंडल के सदस्य के रुप मे धारित पदाविधि को गणना, पात्रता के प्रयोजनार्थ इस उपविधि के आधीन अवधि की गणना करने के लिये नहीं की जायेगी।

नाम निर्दिष्ट संचालक का कार्यकाल

नाम निर्दिष्ट कोई संचालक अधिनियम और नियमों के आधीन निर्दिष्ट प्रधिकारी के प्रसाद पर्यन्त पदासीन रहेगा।

संचालको मे आकस्मिक रिक्त स्थानो की पूर्ति

यदि संचालक मंडल में निर्वाचित सदस्यों के पद में काई अकस्मिक स्थान रिक्त हो तो वह संचालक मंडल के शेष सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से जो सचालक मंडल के सदस्यता के पात्र हो, आमेलन द्धारा पूरी की जायेगी।

संचालक मंडल की बैठक

(क) संचालक मंडल फेडरेशन के कार्यकलाप के संबंध मे निति निर्धारण करने के लिये बैठक कर सकता है या उसे स्थगित भी कर सकता है। संचालक मंडल की किसी बैठक मे उठे प्रश्नो पर निर्णय बहुमत द्धारा होगा। समान मत होने पर सभापति को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(ख) संचालक मंडल की बैठक के आवश्यकतानुसार बुलायी जायेगीः और यदि कोई बहुत आवश्यक बैठक हुई तो सभापति द्धारा बुलायी जायेगी जिसके लिये 15 दिन का नोटिस देना आवश्यक होगा। नोटिस रजिस्टार्ड डाक द्धारा भेजा जायेगा।

(ग) यदि किसी बैठक मे कोई सदस्य बहुमत के राय से मतभेद रखता है तो वह अपने मतभेद की कार्यवाही पुस्तिका मे लिपिबद्ध करने के लिये आग्रह कर सकता है।

संचालक मंडल की बैठक की गणपूर्ति

सचिव अध्यक्ष/मुख्य प्रबंधक
राज्य मत्स्य सहकारी सं0 लि0
उत्तराखण्ड

संचालक मंडल की बैठक की गणपूर्ति 5 संचालको से होगी। संचालक मंडल की बैठक के लिये सात दिन का नोटिस आवश्यक है परन्तु विशेष परिस्थितियो मे उससे कम अवधि के नोटिस पर भी संचालक मंडल की बैठक बुलायी जा सकती है।

संचालक मंडल के साधरण अधिकार

फेडरेशन के कारोबार का संचालन और प्रबंध, संचालक मंडल द्वारा होगा जिसे अधिनियम और नियमो तथा उपविधियो के अन्तर्गत ऐसे सभी व्यवस्था करने, ऐसी सभी कार्यवाहिया करने तथा ऐसे सारे अधिकारो का उपयोग करने का अधिकार होगा जो फेडरेशन के कार्यो का उचित प्रबंध करने तथा जिन उद्देश्यो के लिये फेडरेशन की स्थापना हुई है उनकी पूर्ति एवं फेडरेशन के हित, साधन तथा उनकी सुरक्षा के लिये आवश्यक एवं उचित होगें।

संचालक मंडल के स्पष्ट अधिकार

उपविधियो द्वारा समर्पित ग्प्रम अधिकारो की उपेक्षा किये बिना, संचालक मंडल को निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य होगें।

(क) अपने सारे कार्यक्रमो को सहकारिता सिद्धान्त पर ढालने हेतु प्रदेश के शीर्षस्थ सस्थाओ से संपर्क स्थापित करना तथा परामर्श प्राप्त करना।

(ख) अपने या अपनी सदस्य समितियो के आवश्यकतानुसार वस्तुओ का निर्माण करना, लाईसेन्स प्राप्त करना एजेंसियां खोलना तथा अन्य व्यवस्था करना।

(ग) अपने या अपनी सदस्य समितियो के उद्देश्यो की स्थापना, विकास, प्रसार या उन्नति हेतु जाल बनाने का कारखाना लगाना, भूमी, स्थान, शीतग्रह, प्रकियात्मक प्लांट खरीदना, लगाना आदि।

(घ) मत्स्य पालने की वृद्धि एव उन्नति करने हेतु आदर्श मत्स्य फार्म, उन्नतिशील बीज सर्वधन, मत्स्य अथवा मत्स्य भोजन, मत्स्य योजना तथा मत्स्य आखेट उपकरण आदि की व्यवस्था करना।

(ड) जीवन की मूल उपभोक्ता वस्तुओ को मछुओ सदस्यो को उपलब्ध कराने का प्रबंध करना।

(च) संचालक मंडल के निर्वाचित सदस्यो मे से सभापति और उपसभापति का चुनाव करना।

(छ) अधिनियम एवं नियम के अनुसार एक कार्यकारिणि समिती का गठन करना।

(ज) फेडरेशन के समस्त व्यवसायो मे सहकारी समिति अधिनियम, नियमो तथा उपविधियो का परिपालन सुनिश्चित करना।

(झ) नये सदस्यो की भर्ती करना तथा उन्हे शेयर आवंटित करना।

सचिव अध्यक्ष/मुख्य प्रबंधक

(ट) सामान्य निकाय की बैठक या वार्षिक बैठक मे कार्य व्यवसाय प्रगति रिपोर्ट रखना तथा चालू वर्ष एवं आगामी वर्षो के लिये बजट तैयार करना।

(ठ) संचालक मंडल मे हुई आकस्मिक रिक्तियो की पूर्ति आवेदन सम्मेलन द्वारा करना।

(ड) अधिनियम की धारा–31 तथा नियमो और अधिनियम की धारा–121 तथा 122 के आधीन बने विनिमय के आधीन, सचिव की नियुक्ति करना, उन्हे हटाना निलबिंत करना या अन्य प्रकार से दंडित करना और उनका पारिश्रमिक निश्चित करना।

(ढ) अधिनियम और नियमो के आधीन सचिव की सहायता के लिये आवश्यक हो तो एक या अधिक कर्मचारी को नियुक्ति करना और उन्हे सचिव के ऐसे अधिकारो और कर्तव्य सौपना जो वह उचित समझे।

(त) फेडरेशन के कारोबार के प्रबंध मे आवश्यकतानुसार अधिकारियो, कर्मचारियो और लिपिको की नियुक्ति करना, उन्हे हटाना, निलम्बित करना या अन्य पगकार से दण्डित करना और उनका पारिश्रमिक निश्चित करना।

(थ) बैंको या राज्य सरकार से केन्द्र सरकार के व्यवसाय के लिये समय–समय पर ऋण और अनुदान, प्रार्थना पत्र देकर प्राप्त करना आदि।

(द) फेडरेशन की नकद धनराशी और महत्त्वपूर्ण लेखो की अभिरक्षा, अनुरक्षण और उन्हे रखने का उचित प्रबंध करना।

(घ) फेडरेशन के सदस्यो के आर्थिक विकास हेतु जलाशय पट्टे पर लेना तथा शिकारमाही आदि की समुचित व्यवस्था करना।

(प) निबंधक की पूर्ति स्वीकृत से शाखा खोलना और उसकी कार्य प्रणाली के संबंध मे नियम बनाना।

(फ)फेडरेशन की ओर से किसी सहकारी संस्था में अंश खरीदना तथा प्रतिनिधि भेजना।

(ब)संचालक ~~मण्डल कोई~~ अपने अधिकार (1) कार्यकारिणि समिति (2) उक्त समिति, कोई हो, (3) सभापति (4) सचिव तथा अन्य अधिकारियो को सौंप सकता है। कार्यकारिणि समिति या उप समिति या सभापति या सचिव तथा अन्य अधिकारी इस भाति प्रदत्त अधिकारो का उपयोग संचालक मंडल द्वारा निर्धारित सीमा नियमो के अनुकूल करेगें।

संचालक मंडल के कार्य की वैधता

संचालक मंडल के कार्य, संचालक मंडल मे रिक्त स्थान या किसी संचालक की योग्यता की त्रुटि पर विचार किये बिना वैध समझे जायेंगें मानो कोई स्थान रिक्त न था और संचालक की योग्यता में कोई त्रुटि न थी।

कार्यकारिणि समिति

1–कार्यकारिणि समिति मे निम्नलिखित 5 सदस्य होंगे।

अध्यक्ष/मुख्यप्रवर्तक
राज्य मत्स्य सहकारी संघ लि०
उत्तराखण्ड

Scanned with OKEN Scanner

(क)सभापति

(ख)उप सभापति

(ग)दो निर्वाचित संचालक

(घ)राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट संचालको मे से एक

2–कार्यकारिणि समिति के सदस्य अगले वर्ष तक संचालक मंडल द्वारा नये सदस्य चुने जाने तक पदासीन रहेंगे।

3–कार्यकारिणि समिति का कोई सदस्य अपने पद पर नही बना रहेगा सदि वह संचालक मंडल का सदस्य नही है।

कार्यकारिणि समिति, साधारण सदस्यों की भर्ती करने के अतिरिक्त संचालक मंडल द्वारा प्रदत्त अधिकारों का पगयोग तथा कर्तव्यो का पालन करेगी।

बैठको का स्थान

फेडरेशन की सामानय निकाय, संचालक मंडल तथा कार्यकारिणि समिति की बैठक फेडरेशन के मुख्यालय पर होगी।

सभापति / उपसभापति

1–सभापति फेडरेशन के मामलो तथा कार्य के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा पथ प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसे अधिकारो का प्रयोग करना और ऐसे कर्तव्यो का पालन करेगा जो अधिनियम, नियमों, उपविधि तथा संचालक मंडल के संकल्पो द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जाये उपस्थित रहने पर वह सामान्य निकाय, संचालक मंडल तथा कार्यकारिणि समिति की बैठको का सभापतित्व करेगा और संकट काल मे संचालक मंडल के सारे अधिकारो का प्रयोग करेगा।

2–उपसभापति नियमो मे की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए सभापति की अनुपस्थिति में वह सामान्य निकाय, संचालक मंडल तथा कार्यकारिणि का बैठक का सभापतित्व करेगा औरऐसे अधिकारो का प्रयोग और कर्तव्यो का पालन करेगा जो उसे उपविधियों के अधीन हुए सभापति द्वारा लिखित रुप से प्रतिनिहित किये जायें।

सचिव

सचिव फेडरेशन का कार्य पालक अधिकारी होगा। सभापति और संचालक मंडल के ऐसे नियत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन जिसकी व्यवस्था अधिनियम, नियमो तथा उपविधियो मे की गयी है, रहते हुए वह,

(क)फेडरेशन के कार्य के सम्यक प्रबंध तथा उसके कुशल प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगा।

(ख)राज्य फेडरेशन के प्राधिकृत और सामान्य कार्य करेगा।

अध्यक्ष/मुख्यप्रवर्तक
...ज्य मत्स्य सहकारी संघ फे...
उत्तराखण्ड

(ग)संचालक मंडल द्वारा लगाये गये उपबंधे के अधीन फेडरेशन के लेखो का परिचालन करेगा।

(घ)फेडरेशन की ओर से और उसके लिये सभी लेखे पर हस्ताक्षर करेगा और उन्हे प्रमाणित करेगा।

(ड़)फेडरेशन की विभिन्न बहियो (रजिस्ट्रार) और अभिलेखों को उचित रुप से रखने और नियमो के अधीन वार्षिक विविरण पत्रो और अन्य विविरणियो को शुद्ध रुप से तैयार करने और ठीक समय से उन्हे प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(च) सामान्य निकाय, संचालक मंडल, कार्यकारिणि समिति तथा संचालक मंडल द्वारा गठित किसी अन्य उप समिति आदि की बैठकें बुलायेगा,उनमे उपस्थित रहेगा और कार्यवाही का सही अभिलेख रखेगा।

(छ)ऐसे अन्य कर्तव्यो का पालन और ऐसे अन्य अधिकार का प्रयोग करेगा। जो नियमों या उपविधियों के अधीन उन पर आरोपित या उसे प्रदत्त किये जायै

10 बैठको की कार्यवाहीयो की कार्य वृत्तियां

सभी बैठको की कार्यवाहियो की कार्य वृत्तियां उस आयोजन के लिये रखी गयी पुरितका में अभिलिखित किये जायेंगे और कार्य वृत्तियों पर बैठक का सभापतित्व करने वाले और फेडरेशन के सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगं।

11 अभिलेख तथा लेखा पुस्तकें

फेडरेशन के सचिव नियमावली के नियम संख्या 364 में निर्धारित समस्त बहियों, अभिलेखों के रख रखाव के लिये उत्तरदायी होंगे।

12 भत्ते व अन्य सुविधायें

फेडरेशन के सभापति, उप सभापति, संचालक मंडल के सदस्यो एवं अन्य अधिकारिया को नियमो के उपबंधो के अधीन सामान्य निकाय द्वारा बनाये गये नियमो के अनुसार भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

13 अमानतें

सधारण सभा में निर्धारित और निबंधक द्वारा अनुमोदित सीमा के भीतर फेडरेशन को अधिकार रहेगा कि वह अपने सदस्यों तथा बाहरी लोगों से अमानते ग्रहण करे। अमानतों पर देय ब्याज की दर संचालक मंडल निश्चित करेगा।

14 लाभ वितरण

1–वर्ष के कुल लाभ से निम्नलिखित गदों को घटाने के पश्चात वर्ष का शुद्ध लाभ निकाल दिया जायेगा।

(क)दिया गया ब्याज।

अध्यक्ष/मुख्यप्रवर्तक
...्य मत्स्य सहकारी संघ लि०
उत्तराखण्ड

(ख)किया गया प्रबंध खर्च।

(ग)अशोध्य ऋण के लिये प्रावधान।

(घ)माल और भवनो पर अवमुल्यन।

(ड)क्षति की अन्य मदें।

2–(क)शुद्ध लाभ का कम से कम 25 प्रतिशत रक्षित निधि मे डाला जायेगा।

(ख) शुद्ध लाभ में से कम से कम 2 प्रतिशत सहकारी शिक्षा निधि में जमा किया जायेगा।

प्रतिबंध यह है कि यदि किसी सहकारी वर्ष मे शिक्षा निधि में अंशदान की जाने वाली धनराशी 2500रु– रुपये से अधिक हो जाये तो यह फेडरेशन पर निर्भर होगा कि वह 2500/–रु से अधिक धनराशी का अंशदान करे या न करे।

3–समस्त बकाया ब्याज और वह सारा अर्जित परन्तु अप्राप्त ब्याज उन सदस्यो से जिन पर ब्याज बकाया हो तथा ऐसे उधार बिकि पर वसूली अतिदेय हो, अर्जितकमीशन व लाभ तथा बोनस और फेडरेशन के विभिन्न निधियो में धन का विधि विधान के लिये शेष शुद्ध लाभ से निकाल दिया जायेगा।

4–वितरणीय लाभ नियमों के अधीन निम्नलिखित सभी या किसी प्रायोजन के लिये उपयोग में लाया जा सकता है:–

(क)सदस्यो को उनकी दत्त अंशपूंजी पर 9 प्रतिशत तक लाभांश का भुगतान।

(ख)अशोध्य ऋण निधि, भवन निधि, उधार निधि और लाभाश समकारी निधि के संगठन और अंशदान के लिये।

(ग)आगामी सहकारी वर्ष के लाभ में आगे ले जाने के लिये।

5–जो लाभांश चुकता नहीं किया जायेगा उस पर फेडरेशन ब्याज नही देगा।

15. लेखा परिक्षा

फेडरेशन के लेखों की परिक्षा प्रत्येक सहकारी वर्ष मे कम से कम एक बार, अधिनियम की धारा–64 तथा नियमों के अनुसार निबंधक अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्तवित्त किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

16• विवादो का निपटारा

तत्समय प्रचलित किसी विधी मे किसी बात के होते हुए भी राज्य फेडरेशन के सगठन / प्रबंध अथवा कार्य के संबंध मे फेडरेशन के वेतन भोगी कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी अनुशासनिक कार्यवाही से संबंध विवाद से भिन्न कोई भी विवाद उत्तराखण्ड सहकारी समिती के अधिनियम तथा पठित नियम के अधीन कार्यवाही के लिये निबंधक को अभिदिष्ट किया जायेगा और किसी ऐसे विवाद के संबंध मे ऐसे

अध्यक्ष/मुख्यप्रवंतक
राज्य मत्स्य सहकारी संघ लि॰
उत्तराखण्ड

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय को कोई बात अथवा कार्यवाही ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नही होगा।

17• उपविधियो मे संशोधन

उक्त प्रायोजनो के लिए बुलाई गयी किसी सामान्य बैठक मे उपस्थित कम से कम 2/3 सदस्यो के मत से पारित संकल्प द्वारा किसी उपविधि मे संशोधन किया जा सकता है अथवा नई उपविधि बनाई जा सकती है

उपविधियोदमे संशोधन अधिनियम एवं नियमावली के आधीन किया जा सकेगा।

18• निर्वाचन नियम

संचालक मंडल के सदस्यो, पदाधिकारियो अथवा प्रतिनिधियो का निर्वाचन उत्तराखण्ड सहकारी समिती अधिनियम 2003 एवं उत्तराखण्ड सहकारी नियमावली 2004 मे निर्दिष्ट प्राविधान के अनुसार करायर जायेगा।

19• सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन

संचालक मंडल के सदस्य के निर्वाचन फल की घोषणा के पश्चात यथा शीघ्र सचिव निर्वाचन अधिकारी के परामर्श से फेडरेशन के सभापति तथा उपसभापति तथा ऐसे अन्य पदाधिकारियो के निर्वाचन के लिये संचालन मण्डल की पहली बैठक बुलायेगा। ऐसी बैठक की भी अध्यक्षता निर्वाचन अधिकारी करेगा। संचालक मंडल के सदस्यो मे से ही सभापति, उपसभापति चुने जायेगे। निर्वाचन की समस्त कार्यवाही निर्वाचन अधिनियम के आधीन की जायेगी।

20• अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा सभापति या उपसभापति का हटाया जाना

नियमो के उपविधियो के अनुसार ही सभापति या उपसभापति को संचालक मंडल के अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।

21• उपविधियो का अर्थ

यदि उपविधियो की किसी धारा के अर्थ के संबंध मे कोई मतभेद हो तो संचालक मंडल ऐसे मामलो को निबंधक के पास भेजेगा और इस विषय मे उसका निर्णय अन्तिम होगा।

सचिव

अध्यक्ष/मुख्य प्रवर्तक

राज्य मत्स्य सहकारी संघ लि०

उत्तराखण्ड

Scanned with OKEN Scanner